न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 43/2018

अनवान : —

1. ओमप्रकाश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. भादर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. दलीप सिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. शांति पत्नी स्व0 सन्तराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. भूपसिंह पुत्र स्व0 सन्तराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री कृष्ण गर्ग प्रार्थी
श्री अमित देहडू अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 20-2-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बरवाली के खाता सं0 6/4 की कुल 23.0860है0 तथा चक 1 बरवाली के खाता सं0 7/5 के मु0न0 64, 65, 66 में कुल 5.490है0 प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है। उक्त वाद भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पति है जिसका पक्षकारान ने आपसी सहमती से खाता विभाजन कर खाता व लगान अलग कायम करवा लिये। पक्षकारान के खाता विभाजन के समय अपनी अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने के लिए सभी ने सहमती प्रकट की तथा चक 2 बरवाली के मु0न0 23 के किला न0 25, 16 के पश्चिम किला न0 15 के दक्षिण तरफ मु0न0 24 के किला न0 11—12 के दक्षिणी तरफ किला न0 13 के दक्षिणी तरफ मु0न0 24 के किलान0 14 के दक्षिणी तरफ किला न0 15 के दक्षिणी तरफ मु0न0 25 के किला न0 11 ता 15 व किला न0 12, 9, 2 के पूर्व तरफ से माईनर की ओर व मु0न0 26 के किला न0 11, 12, 13 के दक्षिणी तरफ बरवाली माईनर तक रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए रजामंद हुए लेकिन बाद में अप्रार्थी सं0 1 रामस्वरूप ने इन्कार कर दिया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक होने के कारण न्यायालय हाजा में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पूर्व में दिनांक 03.05.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया जाकर अप्रार्थी सं0 1 रामस्वरूप के जवाब काउन्टर वलेम प्रार्थना पत्र के आधार पर चक 2 बीआरडब्ल्यू के मु0न0 23 के किला न0 25 की पश्चिमि पासा में उत्तर दक्षिण तथा मु0न0 23 के किला न0 16, मु0न0 24 के किला न0 16 ता 20 मु0न0 25 के किला न0 16 ता 20 मु0न0 26 के किला न0 18 ता 20 के दक्षिण पासा में पूर्व से पश्चिम तथा मु0न0 24 के किला न0 16, 25 में बनी ढाणियों के बीचों बीच पूर्व पश्चिम जो मु0न0 25 के किला न0 16 व मु0न0 26 केकिला न0 20 की सीमा पर खाला पर रास्ता के लिए बनी पूलिया से आगे माईनर तक रास्ता स्वीकृत किया गया।। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ओमप्रकाश ने निर्णय दिनांक 03.05.2017 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील प्रस्तुत की। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए दिनांक 29.01.2018 को अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.05.2017 को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित करते हुए कि प्रकरण में मौका रिपॉर्ट प्राप्त कर रास्ता संबंधी मुआवजा का निर्धारण करते हुए निर्णय पारित करें के साथ पत्रावली न्यायालय हाजा को लौटाई।

पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर वाजवा नम्बर पर दर्ज की गई। तहसीलदार भादरा से पुनः नवीन मौका रिपॉर्ट प्राप्त की ।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु चक 2 बरवाली के मु0न0 23 के किला न0 25, 16 के पश्चिम किला न0 15 के दक्षिण तरफ मु0न0 24 के किला न0 11–12 के दक्षिणी तरफ किला न0 13 के दक्षिणी तरफ मु0न0 24 के किलान0 14 के दक्षिणी तरफ किला न0 15 के दक्षिणी तरफ मु0न0 25 के किला न0 11 ता 15 व किला न0 12, 9, 2 के पूर्व तरफ से उतर की ओर व मु0न0 26 के किला न0 11, 12, 13 के दक्षिणी तरफ बरवाली माईनर तक रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रस्तावित रास्ते की आवश्कता अत्यधिक है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 रामस्वरूप के एतराज करने पर प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण जो एक ही परिवार के सदस्य है आपसी सहमती से न्यायालय हाजा में दिनांक 07.08.14 को एक राजीनामा प्रस्तुत किया था जिसमें वर्णित रास्ता से प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन कर सकते है। तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट भी अस्पष्ट है जिसमें प्रस्तावित रास्ता को सुविधाजनक बताया है व अन्य वैकल्पिक रास्ता होना बताया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कोई भी मौके पर अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। वकील अप्रार्थी ने तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट पर तथा अपने जबाब काउन्टर को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर चालू रास्ता को ही राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश किया जावें क्योंकि प्रस्तावति रास्ता की आवश्यकता प्रार्थी को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न तहसीलदार भादरा की रिपॅार्ट का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तावित रास्ता के अलावा एक अन्य रास्ता बताया गया है जो वर्तमान में चालू होना दर्शाया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों 1. Necessity is absolute necessary 2. Absence of alternative means of access के अनुसार तहसीलदार भादरा की रिपॅार्ट के अनुसार वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व नहीं माना जा सकता और ना ही सुविधा का संन्तुलन बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व माना जा सकता। पत्रावली पर पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 07.08.14 तथा अप्रार्थी सं0 1 के काउन्टर जवाब का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी व काउन्टर क्लैम अप्रार्थी सं0 1 आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मुताबिक राजीनामा तथा अप्रार्थी सं0 1 जवाव काउन्टर क्लैम आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 2 बरवाली के मु0न0 23 के किला न0 25, 16 के पश्चिमी तरफ किला न0 15 के दक्षिणी तरफ मु0न0 24 के किला न0 11–12 के दक्षिणी तरफ किला न0 13 के दक्षिणी तरफ , किला न0 14 के दक्षिणी तरफ किला न0 15 के दक्षिणी तरफ मु0न0 25 के किला न0 11–12–13 के दक्षिणी तरफ किला न0 18 के पूर्वी साइड चिपते हुए किला न0 17–16 के दक्षिणी तरफ होते हुए मु0न0 26 के किला न0 20–19–18 के दक्षिणी तरफ बरवाली माईनर के उपर से एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त रास्ता की एवज में भूमि के बदले पक्षकारान को आपस में राजस्थान स्टाम्प नियमों के तहत निर्धारित डीएलसी दरों से मुआवजा दिलाया जाकर उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॅार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 20.2.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़